



2026:AHC:16002

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 19777 वर्ष 2025

देश राज

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उच्च न्यायालय इलाहाबाद और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: आशुतोष चौबे, विमल चंद्र चौधरी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: आशीष मिश्रा

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विमल चंद्र चौधरी और प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता सुश्री पूजा अग्रवाल (ए/पी 0451/15) की बात सुनी गई।
2. प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विभागीय अपील संख्या 18 वर्ष 2021 (देश राज बनाम जिला न्यायाधीश, फतेहपुर) का समयबद्ध निस्तारण करने के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. प्रतिपक्षी की दलीलों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए प्राधिकरण को तीन महीने की अवधि के भीतर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जा रहा है।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।